


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री जयसिंह आर.ए.एस.



क्रि० न० - 113/2020(2020/00156)
अनवान :

1. श्रवण कुमार पुत्र श्री बेगराज जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. राजबाला पत्नी श्रवण कुमार जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. राव विरेन्द्र पुत्र श्री बेगराज जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
4. पुष्पा रानी पत्नी राव विरेन्द्र जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
5. दलावती पत्नी बेगराज जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

- वादीगण

बनाम

1. बेगराज पुत्र भागमल जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. सन्तोष पुत्री बेगराज जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री किशनलाल यादव : वादी
वकील श्री सतवीर पूनियां : प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक : 08/01/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि चक 4 बीआरडब्ल्यू के खाता सं० 58/56/57 के मु०नं० 50 के किला नं० 21 की 0.253 है०, मु०नं० 51 के किला नं० 19 ता 22 कुल किता 4 की 1.0120 है० मु०नं० 52 के किला नं० 16, 17, 24, 25 कुल किता 4 की 1.0120 है०, मु०नं० 60 के किला नं० 4 व 5 कुल किता 2 की 0.5060 है०, मु०नं० 61 के किला नं० 3 ता 8, 13 ता 18, 24, 25 कुल किता 14 कुल 3.5420 है० मु०नं० 62 के किला नं० 1, 10, 11, 20, 21 कुल किता 5 की 1.2650 है० कुल है० 7.590 है० जिसमें नहरी 7.450 है० रास्ता 0.065 है० गै०मु० खाला 0.0750 है० जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। चक 3 बीआरडब्ल्यू के खाता संख्या 50/52 के मु० न० 17 के किला न० 6 ता 8 कुल 0.759 है०, मु० न० 18 के किला न० 2, 9, 10 की कुल 0.759 है०, मु० न० 51 के किला न० 23 की 0.253 है०, मु० न० 56

के किला नं 3 व 8 की 0.506 है, कुल किता 9 की कुल 2.277 है जिसमें बारानी 2.1990 है रास्ता 0.078 है प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। चक 7 एनटीआर के खाता संख्या 53/50 के मुं नं 18 के किला नं 13/1 की 0.063 है, किला नं 14 ता 17 प्रत्येक की 0.253 है, किला नं 18/1 की 0.063 है, किला नं 23/1 की 0.063 है, किला नं 24, 25 प्रत्येक की 0.253 है, मुं नं 25 के किला नं 3/1 की 0.063 है, किला नं 4 ता 7 प्रत्येक की 0.253 है, किला नं 8/1, 13/1 प्रत्येक की 0.063 है, किला नं 14, 15 प्रत्येक की 0.253 है कुल किता 18 की कुल 3.414 है जिसमें नहरी 3.289 है खाला 0.125 है प्रतिवादी संख्या 1 बेगराज के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। चक 5 एनटीआर के खाता संख्या 114/108 के मुं नं 90 के किला नं 13 की 0.253 है प्रतिवादी संख्या 1 बेगराज के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादीगण के दादा भागमल की खातेदारी हुआ करती थी। भागमल से विरासतन वादभूमि जो प्रतिवादी बेगराज ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी बेगराज ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी बेगराज के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जददी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 बेगराज को वादी के दादा भागमल से विरासतन प्राप्त हुई है। चक 4 बीआरडब्ल्यू सम्वत 2068/71 खाता संख्या 56/118, चक 3 बीआडब्ल्यू सम्वत 2068-71 खाता संख्या 52/56, चक 7 एनटीआर सम्वत 2068-71 खाता संख्या 52/50, चक 5 एनटीआर सम्वत 2068-71 खाता संख्या 108/94 से साफ रेशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं 1 व 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी श्रवण पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में चालू जमाबन्दी 4 बीआरडब्ल्यू सम्वत 2072-75 खाता संख्या 58/56, 57 प्रदर्श 1, चालू जमाबन्दी चक 3 बीआडब्ल्यू सम्वत 2072-75 खाता संख्या 50/52 प्रदर्श 2, चालू जमाबन्दी चक 7 एनटीआर सम्वत 2074-77 खाता संख्या 53/50 प्रदर्श 3, चक 5 एनटीआर सम्वत 2072-75 खाता संख्या 114/08 प्रदर्श 4, जमाबन्दी चक 4 बीआडब्ल्यू सम्वत 2068-71 खाता संख्या 56/118 प्रदर्श 5, चक 3 बीआडब्ल्यू जमाबन्दी सम्वत 2068-71 खाता संख्या 52/56 प्रदर्श 6, चक 7 एनटीआर सम्वत 2068-71 खाता संख्या 107/93 प्रदर्श 8, सरपंच ग्राम पंचायत नेठराना द्वारा जारी सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श 9 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने चक 4 बीआरडब्ल्यू के खाता सं 58/56/57 के मु०नं० 50 के किला नं० 21 की 0.253 है०, मु०नं० 51 के किला नं० 19 ता 22 कुल किता 4 की 1.0120 है० मु०नं० 52 के किला नं० 16, 17, 24, 25 कुल किता 4 की 1.0120 है०, मु०नं० 60 के किला नं० 4 व 5 कुल किता 2 की 0.5060 है०, मु०नं० 61 के किला नं० 3 ता 8, 13 ता 18, 24, 25 कुल किता 14 कुल 3.5420 है० मु०नं० 62 के किला नं० 1, 10, 11, 20, 21 कुल किता 5 की 1.2650 है० कुल है० 7.590 है० जिसमें नहरी 7.450 है० रास्ता 0.065 है० गै०मु० खाला 0.0750 है० जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। चक 3 बीआरडब्ल्यू के खाता संख्या 50/52 के मु० न० 17 के किला न० 6 ता 8 कुल 0.759 है०, मु० न० 18 के किला न० 2, 9, 10 की कुल 0.759 है०, मु० न० 51 के किला न० 23 की 0.253 है०, मु० न० 56 के किला न० 3 व 8 की 0.506 है०, कुल किता 9 की कुल 2.277 है० जिसमें बारानी 2.1990 है० रास्ता 0.078 है० प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। चक 7 एनटीआर के खाता संख्या 53/50 के मु० न० 18 के किला न० 13/1 की 0.063 है, किला न० 14 ता 17 प्रत्येक की 0.253 है० किला न० 18/1 की 0.063 है०, किला न० 23/1 की 0.063 है०, किला न० 24, 25 प्रत्येक की 0.253 है०, मु० न० 25 के किला न० 3/1 की 0.063 है०, किला न० 4 ता 7 प्रत्येक की 0.253 है०, किला न० 8/1, 13/1 प्रत्येक की 0.063 है०, किला न० 14, 15 प्रत्येक की 0.253 है० कुल किता 18 की कुल 3.414 है० जिसमें नहरी 3.289 है० खाला 0.125 है० प्रतिवादी संख्या 1 बेगराज के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। चक 5 एनटीआर के खाता संख्या 114/108 के मु० न० 90 के किला न० 13 की 0.253 है० प्रतिवादी संख्या 1 बेगराज के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। परन्तु प्रतिवादी सं 2 ने अपना हक हिस्सा वादीगण तथा प्रतिवादी सं 1 के पक्ष में तर्क कर दिया है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 4 बीआरडब्ल्यू के खाता सं 58/56/57 के मु०नं० 50 के किला नं० 21 की 0.253 है०, मु०नं० 51 के किला नं० 19 ता 22 कुल किता 4 की 1.0120 है० मु०नं० 52 के किला नं० 16, 17, 24, 25 कुल किता 4 की 1.0120 है०, मु०नं० 60 के किला नं० 4 व 5 कुल किता 2 की 0.5060 है०, मु०नं० 61 के किला नं० 3 ता 8, 13 ता 18, 24, 25 कुल किता 14 कुल 3.5420 है० मु०नं० 62 के किला नं० 1, 10, 11, 20, 21 कुल किता 5 की 1.2650 है० कुल है० 7.590 है० जिसमें नहरी 7.450 है० रास्ता 0.065 है० गै०मु० खाला 0.0750 है० जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। चक 3 बीआरडब्ल्यू के खाता संख्या 50/52 के मु० न० 17 के किला न० 6 ता 8 कुल 0.759 है०, मु० न० 18 के

स० 113/2020 अनुवान श्रवण कुमार आदि बनाम बेगराज आदि अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

किला न० 2, 9, 10 की कुल 0.759 है०, मु० न० 51 के किला न० 23 की 0.253 है०, मु० न० 56 के किला न० 3 व 8 की 0.506 है०, कुल किता 9 की कुल 2.277 है० जिसमें बारांनी 2.1990 है० रास्ता 0.078 है० प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। चक 7 एनटीआर के खाता संख्या 53/50 के मु० न० 18 के किला न० 13/1 की 0.063 है, किला न० 14 ता 17 प्रत्येक की 0.253 है० किला न० 18/1 की 0.063 है०, किला न० 23/1 की 0.063 है०, किला न० 24, 25 प्रत्येक की 0.253 है०, मु० न० 25 के किला न० 3/1 की 0.063 है०, किला न० 4 ता 7 प्रत्येक की 0.253 है०, किला न० 8/1, 13/1 प्रत्येक की 0.063 है०, किला न० 14, 15 प्रत्येक की 0.253 है० कुल किता 18 की कुल 3.414 है० जिसमें नहरी 3.289 है० खाला 0.125 है० प्रतिवादी संख्या 1 बेगराज के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। चक 5 एनटीआर के खाता संख्या 114/108 के मु० न० 90 के किला न० 13 की 0.253 है० प्रतिवादी संख्या 1 बेगराज के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उसमें वादी संख्या 1 व 2 बहिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 3 व 4 बहिस्सा बराबर 1/3 हिस्सा एवं वादी संख्या 5 व प्रतिवादी संख्या 1 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। चूंकि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में अपना हिस्सा त्याग कर दिया है, इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने तथा कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08/01/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले

न्यायालय में सुनाया गया।



उपखण्ड (जयसिंह) न्यायालय,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़